

तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में विशेष पत्रवाहक द्वारा उपलब्ध कराये, संबंधित अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार कर, अभिलेखों का सत्यापन, सक्षम निर्गत अधिकारी से कराकर योगदान संबंधी कार्यवाही दो माह में पूर्ण कर, अपनी सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति आदेश का सत्यापन अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से कराने के उपरान्त ही संबंधित कर्मी का वेतन आहरित करना सुनिश्चित करें।

- 5— समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, विकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 6— संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7— संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वह समस्त प्रमाण-पत्रों की दो-दो प्रतियाँ कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें।
- 8— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सम्बन्धित जनपद को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ-साथ सम्बन्धित जनपद के नियंत्रक अधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

(झकुम केश)
निदेशक (नर्सिंग)